

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक- 23/5/08

सं० 17/ए1-35/98 खंड-1.....676(12)..../स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एनार्टोमी विभाग के निम्नांकित कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सह-प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गयी प्रोन्नति को विनियमित किया जाता है:-

क्र०	कार्यकारी सह- प्राध्यापक का नाम	कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत सह-प्राध्यापक के पद पर योगदान की तिथि ।	सह प्रा० के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	डा० धीरेन्द्र कुमार सिंह	13.12.03	13.12.03
2	डा० एस० के० मिश्रा	13.12.03	13.12.03

* अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।

* योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितिकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पटना, दिनांक- 23/5/08

ज्ञापांक- 17/ए1-35/98 खंड-1 676(12)

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अभिलेख के आधार पर यदि किसी चिकित्सक के योगदान की तिथि से भिन्नता दृष्टिगत हो, इसकी सूचना यथाशीघ्र इस विभाग को सूचित करें ताकि नियमानुसार इसका शुद्धिपत्र निर्गत किया जा सके ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पटना, दिनांक- 23/5/08

ज्ञापांक- 17/ए1-49/97 खंड-1 676(12)

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव//अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/अपर निदेशक (चि०शि०) के निजी सहायक/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-17 एवं 1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।